

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1206/2022.....32/22-23 50 एन० /राँची, दिनांक 10.08.2022

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- सिंचाई प्रमण्डल, दुमका अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए मसानजोर निरीक्षण भवन के वार्षिक सम्पोषण हेतु रु० 5.53 लाख (पाँच लाख तिरपन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

- सिंचाई प्रमण्डल, दुमका अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए मसानजोर निरीक्षण भवन के वार्षिक सम्पोषण हेतु रु० 5.53 लाख (पाँच लाख तिरपन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।
- प्रस्तावित कार्य का अवयवार विवरणी निम्नवत है :-

क्र० सं०	विवरणी	संख्या	राशि
1	चौकीदार	2	210575.04
2	खानसामा सह माली	1	105287.52
3	पार्ट टाइम स्वीपर	1	60000.00
4	गार्डनिंग		12500.00
5	A) Electrical accessories का Repair यथा A.C. Servicing, water motor pump, LED Bulb, fan Service etc. B) Sanitary repair :- Bib cock, Drainage cleaning etc.		40000.00
6	सम्पोषण कार्य यथा फिनाइल, ब्रश, एसिड, हार्पिक, हैण्ड वाश, झाड़ू, पोछा, Wiper, TV Recharge, odonil, साबुन, sampoo, Tissue paper, Toilet Paper, good knight, धुलाई (तौलिया, बेडशिट, पर्दा आदि की), खाद (पौधों के रख-रखाव हेतु)		72000.00
7	चौकीदार (Due payment for previous year)	2	52643.76
कुल राशि :-			553006.32
Say Rs. :-			553006.00

- प्रस्तावित कार्य वर्ष 2022-23 में पूर्ण कर लिया जायेगा।
- उपरोक्त कार्यों पर होनेवाला व्यय :-

मांग संख्या-49-S-मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-79-नये भवनों का निर्माण तथा पुराने भवनों का सम्पोषण एवं मरम्मत, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के विपत्र कोड-49-S-4701-80-796-79-00-05-45 अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. उक्त कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
8. इस कार्य के लिए वर्ष 2022-23 के बजट शीर्ष 49-S-4701-80-796-79-00-05-45 में रु० 400.00 लाख का प्रावधान है।
9. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
11. राशि की निकासी वित्त विभाग का परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
12. प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।
13. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू राँची को संसूचित किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यमाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1206/2022-32/22-23 5०६१०/राँची, दिनांक 10.08.22

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना एवं विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1206/2022-32/22-23 5०६१०/राँची, दिनांक 10.08.22

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, दुमका झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

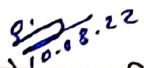
(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1206/2022-32/22-23 5०६१०/राँची, दिनांक 10.08.22

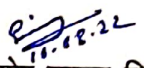
प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल दुमका/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1206/2022...32/22-23 प्र० स्त०/राँची, दिनांक 10.08.22
प्रतिलिपि :- आयुक्त संधाल परगना दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिला अंतर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1206/2022...32/22-23 प्र० स्त०/राँची, दिनांक 10.08.22
प्रतिलिपि :- माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

(D)